20रु. COURT भारत बीस रुपये

17

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कं. /2018 पुनरीक्षण निगरानी 5992/2018/छतरपुर/भू.रा.

1. बारेलाल पुत्र ननुवा लोधी
2. अजुद्दी पुत्र ननुवा लोधी
3. धनीराम पुत्र ननुवा लोधी
4. पुनिया बाई बेवा ननुवा लोधी

समस्त निवासीगण ग्राम अनगौर तहसील विजावर जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

छक्कीलाल पुत्र नंदलाल लोधी

निवासी ग्राम अनगौर तहसील विजावर

जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

मुकेश भार्गव 3-10-18
17-10-18
3-10-18

मुकेश भार्गव एडवोकेट 3-10-18 ग्वालियर

<u>न्यायालय अपर कमिश्नर सागर संभाग, सागर कैम्प छतरपुर द्वारा प्र.कं. अपील–399 अ–6X14–15 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसान निवेदन है कि –

संक्षप्ति तथ्य –

1– यह कि, भूमि ख.नं. 3345 रकवा 0.413 है. ख.नं. 7200 रकवा 0.206 है. ख.नं. 7415/2 रकवा 0.259 है. एवं ख.नं. 7413/2/1 रकवा 0.352 है. कुल किता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5998/2018/छतरपुर/भू.रा. बारेलाल विरूद्ध छक्कीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-10-2018	1. आवेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उन्हे ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया । 2. यह निगरानी आवेदन अपर आयुक्त सागर संभाग के प्रकरण क्रमांक अपील 399/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20-08-2018 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । 3. आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर एवं अपर आयुक्त सागर के आदेश का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त सागर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-04-2018 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के ½ भाग पर आवेदकगणों को आधिपत्यधारी नहीं पाया गया है । 4. चूंकि विधिक प्रावधान के अनुसार व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । अतः यह निगरानी आवेदन इसी स्तर पर अग्राह्य किया जाता है । (आर.के.जैन) 17.x.18 सदस्य	